राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :— प.6(307)परि / कर / मु. / 2015 / 5590 जयपुर, दिनांकः 12.03.2020

आदेश

अन्य राज्य में पंजीकृत वाहनों का राजस्थान राज्य में प्रवेश हेतु देय टैक्स ऑनलाईन टैक्स पोर्टल द्वारा जमा किया जाता है। इस पोर्टल पर अनेक बार वाहन स्वामी / जमाकर्ता द्वारा एक ही वाहन का समान अवधि के लिये एक से अधिक बार टैक्स जमा हो जाता है जिसे नियमानुसार रिफण्ड किया जाना अपेक्षित होता है। यह एक से अधिक ट्रांजेक्शन प्रायः नेटवर्क / बैंक संबधी कारणों से होता है।

इस ऑनलाईन पोर्टल पर अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन का समान अवधि के लिये एक बार से अधिक जमा कर के रिफण्ड हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये —

1. अन्य राज्य के वाहनों द्वारा ऑनलाईन जमा पोर्टल पर जमा कर के रिफण्ड हेतु जिला परिवहन अधिकारी, कर (मुख्यालय) कराधान अधिकारी होंगे।
2. कर जमा का सत्यापन एवं दोहरे कर के जमा होने की पुष्टि संबंधित सहायक लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी।
3. इस रिफण्ड पत्रावली का संधारण कर शाखा में होगा एवं File Movement कर शाखा, कराधान अधिकारी एवं सहायक लेखा अधिकारी के मध्य होगा।
4. ऑनलाईन रिफण्ड ई—ग्रास चालान में उल्लेखित जमाकर्ता को ही किया जायेगा।
5. रिफण्ड की प्रक्रिया 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी।
6. अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन का टैक्स जमा कराते समय वाहन संख्या का गलत इन्द्राज होने पर, विशेष परिस्थितियों को छोडकर, कोई टेक्स रिफण्ड नही किया जायेगा।
7. ऑनलाईन रिफण्ड की कार्यवाही ई—मेल ID transport.onlinerefund@rajasthan.gov.in पर की जाये।

अतः अन्य राज्य के वाहनों के ऑनलाईन रिफण्ड हेतु प्राप्त प्रकरणों पर उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

क्रमांक :— प.6(307)परि / कर / मु. / 2015 / 5591-98 जयपुर, दिनांकः 12.03.2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है —

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. एस.ए., परिवहन विभाग को ऑनलाईन रिफण्ड प्रकरणों के संबंध में बिंदू संख्या 7 के अनुसार नई ईमेंल आई.डी. transport.onlinerefund@rajasthan.gov.in बनाये जाने एवं इन निर्देशों को विभागीय वेबसाईट एवं ऑनलाईन जमा पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)